(124)

समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0 लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

30/-

(R) 5236-II/16

Rs-30/-

1– रामसुशील पाण्डेय तनय स्व0 श्री गिरजा प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम झगरहा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

2– अमरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 श्री चन्द्रप्रताप पाण्डेय, निवासी ग्राम झगरहा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

————आवेदक / प्रार्थीगण

बनाम

मनोज कोल पिता ददोली कोल, निवासी ग्राम झगरहा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

———अनावेदक

श्री सन्तोष द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 25-5-16 प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र वावत् पुर्नविलोकन निगरानी 2132–11–15 दिनांक 13/01/16 जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 06/05/16 को हुई तदनुसार नकल प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत

अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्न है :–

1– यह कि माननीय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखो में वर्णित तथ्य एवं वाक्यातों को अनदेखी कर पारित निर्णय दिनांक 13/01/16 हेतु पुर्नविलोकन विधिक प्रक्रिया एवं साक्ष्यो अनुरूप स्वीकार योग्य है ।

2– यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष पारित आदेश नायब तहसीलदार सेमरिया के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 24/07/14 में स्पष्ट रूप से आ0नं0–65/2 के दक्षिण की ओर 0.042 हे0 पर आवेदक रामसुशील पिता गिरिजा प्रसाद काविज काश्त है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाष्पद आदेश में यह वर्णित किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 5236–दो/2016 जिल– सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण क्रमांक 2132–दो/2015 में पारित आदेश 13–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन आवेदन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण क्रमांक 2132–दो/2015 में पारित आदेश 13–1–2016 में आदेश पारित किया जाकर चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	